फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती प्यारी बाई | बनाम | विपक्षी : श्री नारायणलाल व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम | पत्रावली संख्या : 201/21

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 08.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता U.T. कर्ता विपक्षीगण द्वारा विपक्षीगण की तरफ से वकालत पत्र पेश नहीं किया गया। अधिवक्ता विपक्षी व विपक्षीगण अनुपस्थित। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा. दी. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार हैं। विपक्षी का प्रार्थनाग्रस्त भूमि से संबंध सरोकार नही हैं। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा कर रहें है तथा उक्त आराजी को हडपने पर उतारू हैं जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। अनुपस्थित है।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार है जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हित निहीत हैं। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा कथन कहा कि विपक्षी प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा कर रहें है जिससे विपक्षी को पाबन्द किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अन्य बिन्दुओं का मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा चमलावदी पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 20[illegible] 73 की खाता संख्या [illegible]26 की आराजी नम्बर 77, 78, 79, 80, 81 किता 05 रकबा 6 बिघा 11 बिस्वा भूमि [illegible] के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण [illegible] मौके की [illegible]स्थिति बनाए रखे तथा प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा नहीं करें। [illegible] कम हो

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Banediya
Date: 2025.07.03 14:23:05 IST
Reason: SelfAttested